न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2021/35

प्रहलाद पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र. इन्द्राज जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. कमला पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. पार्वती पुत्री देवीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. आईसीआईसीआई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा जसाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। (दिनांक 14.09.2021 को नाम तर्क किया गया)
5. उप पंजीयक कार्यालय खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी नोहर का प्र. सं0 133/2018 अनवान प्रहलाद बनाम देवीलाल आदि निर्णय दिनांक 01.03.2021

उपस्थितिः—

श्री देवदत्त भिड़ासरा अभिभाषक अपीलार्थी
श्री देवीलाल भांभू, अभिभाषक रेस्पोडेंट सं0 1
श्री रमेशचन्द्र जोशी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 3
श्री राजेश कौशिक अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 5 की ओर से

निर्णय दिनांक 22.11.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके साथ धारा 212 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया। प्रार्थना—पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त चक 23 एनटीआर के खाता संख्या 76/[illegible] की कुल 3.542 है0, 17 एनटीआर के खाता संख्या [illegible] की कुल 37950 [illegible] खाता संख्या 71/76 की कुल 1.2650 है0 भूमि जो कि गैरसालय सं0 1 के नाम दर्ज है। संयुक्त हिन्दू परिवार की जददी जायदा है जसमें अपीलाण्ट का गैर सायल नं. 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है। गैर सालय नं. 1 अपने नाम दर्ज भूमि को बेचान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

करना चाहता है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी ने अप्रार्थी/रेस्पो0 सं0 1 के विरूद्ध ताफैसला दावा भूमि को रहन बैय मुन्तकिल ना करने एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष मांगा।

2. अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत भूमि में प्रार्थी का कोई हक हिस्सा नहीं है। अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है उसके विरूद्ध किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अप्राथी/रेस्पोडेण्ट सं. 1 ने प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा आंशिक स्वीकार किया एवं वाद भूमि में 1/4 हिस्सा तक स्थाई निषेधाज्ञा को तादावा कन्फर्म किया एवं शेष भूमि पर पूर्व में जारी स्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जद्दी जायदाद है जिसमें अपीलाण्ट का जन्म से हक व हिस्सा है, यह तथ्य मूल वाद में निर्णित होगा की वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का कुल कितना हिस्सा है परन्तु विचारण न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 देवीलाल की भूमि में मात्र 1/4 हिस्सा मानकर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। रेस्पो0 सं0 1 ने अपने पिता से प्राप्त विरास्तन भूमि में से दिनांक 29.05.2004 को 0.506 है0 व दिनांक 28.05.2008 को 0.379 है0 भूमि अपने गलत व्यस्नो की पूर्ति हेतु विक्रय कर दी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायला ने उक्त बैयनामों के संबंध में कोई विवेचन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 2 व 3 अपीलाण्ट की बहनें है उन्होंने कोई आपत्ति पेश नहीं की है। अपीलाण्ट का प्रश्नगत भूमि में 1/2 हिस्सा है रेस्पोडेण्ट गलत व्यस्नों की पूर्ति हेतु पूर्व में ही भूमि का बेचान कर चुका है यदि वह अब पुनः भूमि का बेचान कर देता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रशगनत भूमि अपीलाण्ट के दादा इन्द्राज पुत्र मुखराम की खातेदारी भूमि थी उनकी मृत्यु के बाद राजस्व रिकार्ड में देवीलाल व भूपसिह पुत्रगण इन्द्राज के नाम व हिस्सा बराबर दर्ज हुई। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 देवीलाल के धारण में उपरोक्त भूमि बतौर कर्ता संयुक्त हिन्दु खानदान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है व रेस्पो0 सं0 1 के कुल तीन वारिस अपीलाण्ट रेसपो0 सं0 2 व 3 है व रेस्पो0 सं0 1 की पुत्रीयॉ जिन्होंने अपना हिस्सा अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 1 के पक्ष में तर्क क[illegible]द प्रश्नगत भूमि में स्वयं को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित करने व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र में ताफैसला वाद रहन बैय न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा है। विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा में दिनांक 01.03.2021 के द्वारा संशोधन करते हुए अपीलांट का 1/4 हिस्सा तक अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म कर दी व शेष 3/4 हिस्सा भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर दी जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलाण्ट का केवल 1/4 हिस्सा माना है जो उचित नहीं हैं। अतः अपील अपीलाण्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 16:34:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे (19) 2012 पेज 26, आरबीजे (12) 2005 पेज 405, आरबीजे (22) 2015 पेज 299, आरआरटी 2007 (2) पेज 813 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि इन्द्राज पुत्र मुखराम की पैदाकरदा भूमि है जो इन्द्राज की मृत्यु के बाद देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन दर्ज हुई है। देवीलाल एवं भूपसिंह की बहनों ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग देवीलाल एवं भूपसिंह के पक्ष में त्याग किया हुआ है जिसमें देवीलाल का हक हिस्सा है जिसमें अन्य किसी का हक हिस्सा नहीं है। अपीलाण्ट ने इसी विषयवस्तु के साथ वाद संख्या 176/2006 इसी न्यायालय में पेश किया जो लोकअदालत में राजीनामा के आधार पर दिनांक 21.06.2018 को खारिज किया जा चुका है विधि अनुसार पुनः इसी विषय वस्तु पर कोई वाद पुनः पेश नहीं किया जा सकता है। रेस्पो0 सं0 1 रिकार्डेड खतोदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायलाय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावे प्रमाणित दस्तावेज होने एवं प्रकरण के निस्तारण में सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं प्रस्तुत दस्तावेज को अभिलेख पर लिया जाता है।

8. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड रेस्पो0 सं0 1 के नाम दर्ज है। उभयपक्ष प्रश्नगत भूमि को पैतृक सम्पति होना स्वीकार करते हैं एवे पैतृक सम्पति में अपीलाण्ट का कितना हक हिस्सा है यह तथ्य वाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होना है। रेस्पो0 सं0 1 के जायज वारीसान अपीलाण्ट एवं उसकी दो बहनें है, अर्थात रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि के अपीलांट सहित 4 संभावित हिस्सेदार हैं। अपीलाण्ट का कथन है उसकी बहनों रेस्पो0 सं0 2 व 3 ने अपने हकों का त्याग कर दिया है। यह तथ्य भी मूल वाद में तय किया जाना है। अपीलाण्ट रेस्पोडेण्ट के नाम दर्ज भूमि में से केवल 1/4 हिस्सा तक ही अपने हकों को सुरक्षित रखने की मांग कर सकता है उससे अधिक भूमि पर स्थगन की मांग किया जाना समुचित नहीं है। ऐसी स्थिति में [illegible] भूमि में से 1/4 हिस्सा तक अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा कन्फर्म [illegible] है [illegible] विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.03.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/X1/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.12.16 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested